राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

प्रभाती बनाम प्रहलाद

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	16/2023	
02/02/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 23/02/2026 को पेश हो |	
23/02/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई | संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर अपीलार्थीगण की बहस समायत करते हुये आदेश दिनांक 29/09/2022 पारित करते हुये उभयपक्ष को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस समायत कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12/12/2022 पारित करते हुये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा ख़ारिज फरमा दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेश्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यवहार प्रक्रियां संहिता के आदेश 39 नियम 03 के प्रावधानों की अनदेखी करते हुये सरसरी तौर पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12/12/2022 पारित किया गया है, जो विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों के विपरित है | विधिक प्रावधानों के अनुसरण में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ को विवेचित करते हुये निस्तारित किया जाना आवश्यक होता है | अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही कर विधिक त्रुटी किया जाना स्पष्ट होता है | इसके अतिरिक्त दौराने बहस उद्धरित तथ्यों से यह भी स्पष्ट है कि प्रकरण के इस स्तर पर प्रश्नगत भूमि की मौके की स्थिति में परिवर्तन होता है तो प्रकरण में अनावश्यक पेचीदगीयां उत्पन्न होना सम्भव है, जिसे न्यायहित में रोका जाना न्यायोचित्त प्रतीत होता है | इसके अतिरिक्त प्रकरण के इस स्तर पर प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दु अपीलार्थी के पक्ष में जाहिर होते है | अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12/12/2022 निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	**प्रभाती बनाम प्रहलाद** **हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	व्यवहार प्रक्रियां सहिता के आदेश 39 नियम 03 के प्रावधानों का अनुसरण करते हुये प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तनीय क्षति के बिन्दुओ को बाद सुनवाई उभयपक्षकारान विस्तृत रूप से विवेचित करते हुये विधिसम्मत आदेश पुन: पारित करे। तब तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 100/2022 में पारित आदेश दिनांक 29/09/2022 बहाल रखा जाता है। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23/02/2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	